मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल/06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438] भोपाल, बुधवार दिनांक 19 सितम्बर 2007—भाद्र 28, शक 1929

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्र. 6061-एफआरएस-6-2007-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4 सन् 2001) की धारा 23 की उपधारा (1), (2) तथा (3), धारा 24 तथा धारा 56 की उपधारा (2) के साथ पठित विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 131 की उपधारा (1), (2), (5), (6) और (7) तथा धारा 133 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् सुधार प्रथम अंतरण योजना नियम, 2003 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 7 के उप-नियम (11) के पश्चात्, अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"**टिप्पणी** : उपरोक्त उप-नियम (10) तथा (11) के प्रयोजन के लिये, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनियों के बीच सेवान्त प्रसुविधा दायित्वों के प्रभाजन हेतु 1 जून, 2005 को नियत तारीख के रूप में माना जाएगा.".

No. 6061-F.RS.-6-2007-XIII.—In Exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2), (5), (6) and (7) of Section 131 and Section 133 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with sub-section (1), (2) and (3) of Section 23, 24 and sub-section (2) of Section 56 of the Madhya Pradesh Vidyut Sudhar Adhiniyam, 2000 (No. 4 of 2001), the State Government hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Electricity Reform First Transfer Scheme Rules, 2003, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, after sub-rule (11) of rule 7, the following Note shall be added at the end, namely :—

"**Note** : For the purpose of sub-rule (10) and (11) above, the appointed date for apportionment of terminal benefits liabilities among the successor companies of Madhya Pradesh State Electricity Board shall be treated as 1st June, 2005.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. बी. अग्रवाल, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.